के लिए विशेष रूप से उद्दिष्ट नहीं किए जाते हैं। तथापि, राज्यों को सभी समुदायों के उपयोग के लिए अनुसूचित जाति की कालोनियों में पानी के नए स्रोत मुहैया कराने की सलाह दी है, यदि ऐसा करना तकनीकी तथा युक्ति-युक्त रूप से व्यावहारिक हो।

ग्रामीण जलपूर्ति योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किए गए ग्रामों तथा क्षेत्रों के नाम राज्य सरकारों के पास ही उपलब्ध होंगे।

गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत सफाई पट्टे के आधार पर मकानों का आवंटन

3216. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत राजधानी में स्थायी पट्टे के आधार पर मकान आवंटित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या सरकार इस योजना का विस्तार देश के अन्य भागों में करने पर विचार करेगी ;

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली में इस प्रकार के कितने मकान हैं और इन मकानों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (घ) दिल्ली में निर्मित टेनामेन्टों के आवंटियों/कब्जेदारों को स्वामित्व हकूक देने का निर्णय किया गया है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 39 कालोनियों में लगभग 18,000 मलिन बस्ती फ्लैट हैं। इन फ्लैटों का स्वामित्वाधिकार कब्जेदारों को वार्षिक आर्थिक किराए के 20 गुने के बराबर प्रीमियम अदा कर देने पर दिया जाना है।

(ख) और (ग) मलिन बस्ती सुधार राज्य का विषय है। देश के अन्य भागों में मलिन बस्ती वासियों को समकक्ष अधिकार देने का प्रश्न प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार तय किया जाना है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कालोनियों के सुधार के लिए विस्तृत योजना

3217. **श्री रामप्यारे पनिका :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कालोनियों में सुधार करने के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार देश के अन्य भागों में भी ऐसी योजनाएं शुरू करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दतिया "कैरियर" नहर परियोजना

3218. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने दतिया "कैरियर" नहर परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कोई मामला केन्द्रीय सरकार को भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने दतिया